# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

... – स्व. जगु कुंवर विपक्षी :– केसर सिंह

किस्म मुकदमा :– वाद पत्रावली संख्या 11/2021 सन् 2021 GCMS No. 2021/31

| कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई |
|---|---|
| दिनांक : 29.07.2024 | |

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकार उपस्थित। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर अंकित किया गया कि वादी द्वारा उक्त वाद वसीयत को निरस्त करने हेतु पेश किया जो कि विचाराधीन है। उक्त प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्टेज पर होकर न तो वाद पद बने है ना साक्ष्य प्रारम्भ हुई तथा प्रतिवादीगण का वादोतर भी पेश नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया तथा धारा 207 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत वसीयत निरस्त करने का अधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है। प्रतिवादी ने इसी आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उक्त वाद का श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को अधिक्षेत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को श्रीमान के न्यायालय में विधिक प्रावधान के विपरीत पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त वाद को सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाया जाए ताकि वादी उक्त वाद को सक्षम न्यायालय में पेश कर सके।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वाद को सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने हेतु लौटाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर किशोरीबाई के द्वारा की गई वसीयत को प्रथमदृष्टया फर्जी होकर शुन्य व अवैध है जिसको शुन्य घोषित फरमाया जाकर वसीयत के आधार पर खोले गये नामान्तकरण को खारिज फरमाया जावे तथा वादीगण को वादवर्णित भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या एक व दो द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 सी.पी.सी. पेश होकर तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का पेश होकर वास्ते जवाब नियत है। प्रकरण में वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 भी प्रस्तुत होकर वास्ते जवाब लम्बित है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादी का वाद वसीयतनामे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत करना बताते हुए पेश किया गया है। वादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 में वादपत्र का मुख्य अनुतोष वसीयतनामा निरस्त कराना अंकित करते हुए वादपत्र को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु लौटाने का निवेदन किया गया है। किसी वसीयत को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार राजस्व

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

# फर्द अहकाम

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

वादी :– स्व. जगु कुंवर  विपक्षी :– केसर सिंह

किस्म मुकदमा :– वाद  पत्रावली संख्या 11/2021  सन् 2021 GCMS No. 202

न्यायालय को नहीं है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात के सम्बध में वादी द्वारा प्रस्तु
वाद इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार का नहीं है।

अतः न्यायहित में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 10 सपठित
धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत
करने हेतु लौटाये जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम
हो।

(रिया डाबी)
IAS
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर